अनल दा समेत 15 माओवादी ढेर

सरकार ने रखा था एक करोड़ रुपये का इनाम

पश्चिम सिंहभूम। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में गुरुवार को सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 1 करोड़ रुपए के इनाम वाले शीर्ष नेता अनल दा समेत 15 माओवादी मारे गए। पुलिस ने बताया कि सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट के करीब 1500 जवान किरीबुरु थाना क्षेत्र के सारंडा जंगल के कुमड़ी इलाके में चलाए जा रहे अभियान में लगे हुए हैं। सुरक्षा बलों का नेतृत्व कमांडो बटालियन फॉर रेसोल्यूट एक्शन (कोबरा) की 209वीं बटालियन कर रही है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमने शीर्ष नेता पतिराम मांझी उर्फ अनल दा समेत 15 माओवादियों के शव बरामद किए हैं। भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किया गया है। सुबह 6 बजे शुरू हुई मुठभेड़ अभी भी जारी है। उन्होंने बताया कि सारंडा जंगल में मंगलवार से माओवादी विरोधी अभियान जारी है, लेकिन गोलीबारी गुरुवार सुबह शुरू हुई।

भागने के सभी रास्ते बंद

झारखंड के आईजी (ऑपरेशन) माइकल राज ने कहा कि माओवादियों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और गोलीबारी अभी भी जारी है। भागने के सभी रास्तों को बंद करने के लिए अतिरिक्त बल भेजे गए हैं और साथ ही तलाशी अभियान भी शुरू किया गया है। आगे की जानकारी की प्रतीक्षा है। किसफोटा ने कहा कि यह अभियान सारंडा वन के भीतर भौगोलिक रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण इलाके में जारी है। पूरे सारंडा आरक्षित वन क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अभियान समाप्त होने के बाद ही विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जा सकेगी।

अनल दा 1987 से सक्रिय था

झारखंड पुलिस के आईजी (ऑपरेशन) माइकल राज एस ने बताया कि पुलिस को सारंडा जंगल में अनल दा और उसके साथियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद अभियान शुरू किया गया। गिरिडीह जिले के पीरतंद निवासी अनल दा 1987 से सक्रिय था। पुलिस वर्षों से उसकी तलाश कर रही थी।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, कोबरा 209 बटालियन के नेतृत्व में सीआरपीएफ और राज्य पुलिस की संयुक्त फोर्स गुरुवार तड़के सरंदा वन के कुंभदिह गांव के पास माओवादी विरोधी अभियान पर थी। तभी पतिराम मांझी उर्फ अनल दा और लालचंद हेमब्रम उर्फ अनमोल के नेतृत्व वाले माओवादी दस्तों ने उन पर गोलीबारी की।

माओवादी दस्तों पर अंतिम हमले के लिए रोडमैप

गौरतलब है कि सीआरपीएफ के महानिदेशक (ऑपरेशन) ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने सोमवार को चाईबासा में एक रणनीति बैठक के दौरान प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) दस्तों पर अंतिम हमले के लिए रोडमैप को अंतिम रूप दिया था, जिनका नेतृत्व केंद्रीय समिति के सदस्य मिसिर बेसरा उर्फ निर्भय, असीम मंडल उर्फ तिमिर और पतिराम मांझी उर्फ अनलदा कर रहे थे। झारखंड में कोल्हान और सारंडा को माओवादियों का अंतिम गढ़ माना जाता है। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने बुडा पहाड़, चतरा, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची और पारसनाथ में उनकी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से सीमित कर दिया है।

कौन थे अनल दा ?

गिरिडीह का रहने वाला अनल दा उर्फ तूफान उर्फ पतिराम मांझी उर्फ पतिराम मरांडी उर्फ रमेश भाकपा माओवादी के केंद्रीय कमेटी का प्रमुख सदस्य थे. माओवादी संगठन में रणनीतिकार के रूप में जाना जाने वाले यह नक्सली लंबे समय से सुरक्षाबलों के रडार पर थे. गिरिडीह के पीरटांड़ थाना क्षेत्र का अनल 1987 से सक्रिय थे और झारखंड-बिहार के कई जिलों में अपना आतंक कायम कर चुका थे. 1987 से 2000 तक अनल दा ने पीरटांड़, टुंडी और तोपचांद इलाके में गोपाल दा के नाम से अपना सिक्का जमाया. इस दौरान नक्सली संगठन ने इस क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ बनाई. अनल दा ने संगठन की रणनीतियों को लागू कर कई हमलों का नेतृत्व किया, जिससे स्थानीय स्तर पर पुलिस और ग्रामीणों में दहशत फैल गई. यही वह दौर था जब नक्सलवाद झारखंड के इस हिस्से में चरम पर पहुंचा.

बंगाल की नदी में डूबा बांग्लादेशी जहाज

मुरी गंगा नदी में हुआ हादसा

एजेंसी | कोलकता

पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में बुधवार को मुरी गंगा नदी में एक बांग्लादेशी मालवाहक जहाज डूब गया। जहाज पर फंसे चालक दल के सभी 12 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। जहाज पड़ोसी देश बांग्लादेश जा रहा था। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, खुलना का एमवी तमजीद नाम का यह जहाज दक्षिण 24 परगना के बज बज से फ्लाई ऐश लेकर बांग्लादेश जा रहा था। मुरी गंगा नदी पार करते समय यह जहाज कथित तौर पर पानी के नीचे एक रेत के टीले से टकरा गया। इस टक्कर की वजह से जहाज के बीच के हिस्से में एक बड़ा छेद हो गया। जिसके बाद तेजी से पानी अंदर भरने लगा। चालक दल के सभी सदस्य जहाज पर ही फंस गए।

पुलिस और मछुआरों ने बचाई नाविकों की जान

डूबते हुए जहाज को देखकर स्थानीय मछुआरों ने तुरंत इसकी सूचना सागर पुलिस स्टेशन को दी। खबर मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद पुलिस कर्मियों और मछुआरों ने मिलकर एक संयुक्त बचाव अभियान चलाया। इस ऑपरेशन के दौरान जहाज पर फंसे सभी 12 नाविकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

सभी नाविक सुरक्षित, हादसे की जांच जारी

अधिकारी ने बताया कि बचाए गए सभी 12 नाविक पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी को भी कोई चोट नहीं आई है। इनमें से 11 नाविक बांग्लादेश के नागरिक हैं। अधिकारियों का कहना है कि वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि यह हादसा कोहरे के कारण खराब दृश्यता की वजह से हुआ या फिर किसी तकनीकी खराबी के कारण।

न्यूज़ ब्रीफ

फोन टैपिंग मामले में के टी रामा राव से आज पूछताछ करेगी एसआईटी

हैदराबाद। तेलंगाना फोन टैपिंग मामले की जांच कर रही तेलंगाना पुलिस की एसआईटी शुक्रवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामा राव से पूछताछ करेगी। सूत्रों से यह जानकारी सामने आई है। मामले में एसआईटी बीआरएस विधायक टी हरीश राव से 20 जनवरी को पूछताछ कर चुकी है।

जुबीन मामला : दो आरोपियों ने जमानत याचिका वापस ली

गुवाहाटी। गायक जुबीन गर्ग की मौत मामले में दो आरोपियों ने गुरुवार को अपनी जमानत याचिकाएं वापस ले लीं। इनमें नॉर्थईस्ट इंडिया फेस्टिवल के निदेशक श्यामकानु महंत और जुबीन के चचेरे भाई संदीपन शामिल हैं। कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिला एवं सत्र न्यायालय में सात में से पांच आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी।

आतंकी की याचिका पर सरकार को नोटिस

लाल किला हमला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वर्ष 2000 में लाल किले पर हुए आतंकी हमले के दोषी और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की ओर से दायर सुधारात्मक याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। यह याचिका मौत की सजा के खिलाफ दाखिल की गई है। आतंकी मोहम्मद आरिफ ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2022 के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उसकी समीक्षा याचिका खारिज करते हुए मौत की सजा को बरकरार रखा गया था। अदालत ने अब इस याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है।

तीन जजों की पीठ ने जारी किया नोटिस

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी की पीठ ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर मामले में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि याचिका में उठाए गए बिंदुओं पर सरकार का पक्ष सुना जाना आवश्यक है।

आतंकवाद पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर 2022 को दिए अपने फैसले में आरिफ की समीक्षा याचिका खारिज करते हुए कहा था कि आतंकवाद जैसे अपराध, जो भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देते हैं, वे सबसे गंभीर श्रेणी में आते हैं। ऐसे मामलों में किसी भी नरमी के आधार को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

केजरीवाल को समन मामले में राहत

शराब घोटाले में बरी नहीं हुए केजरीवाल, चालू रहेगा केस: भाजपा

एजेंसी | नई दिल्ली

दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन पर पेश न होने के आरोप में दाखिल वाद में अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया है। इस फैसले के बाद केजरीवाल ने इसे 'सत्य की जीत' करार दिया और सोशल मीडिया पर फैसले का स्वागत किया।

भाजपा का पलटवार, भ्रम फैलाने का आरोप

अदालत के फैसले के बाद भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के आरोपों से बरी नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें केवल ईडी के समन पर पेश न होने से जुड़े मामले में राहत मिली है। पार्टी के अनुसार, कथित शराब घोटाले से जुड़ा मुख्य मामला अभी भी जारी है।

शराब नीति को लेकर शुरू हुआ विवाद

अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली सरकार ने वर्ष 2021-22 में नई शराब नीति लागू की थी। आम आदमी पार्टी ने इसे पारदर्शी और बेहतर नीति बताया था, जबकि भाजपा ने इस पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इसी विवाद के बीच उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 20 जुलाई 2022 को इस नीति में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।

सीबीआई और ईडी की जांच का सिलसिला

उपराज्यपाल की सिफारिश के बाद सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को इस मामले में केस दर्ज किया। जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं की जांच शुरू की और अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के लिए लगातार पांच बार समन जारी किए। समन के बावजूद पेश न होने पर ईडी ने अदालत में वाद दायर किया था।

फैसले के बाद सियासी घमासान

अदालत से बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल के सोशल मीडिया हैंडल से 'सत्यमेव जयते' लिखकर फैसले का स्वागत किया गया। वहीं भाजपा का कहना है कि इस फैसले को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और जनता को यह समझना चाहिए कि शराब घोटाले की जांच अभी खत्म नहीं हुई है। इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में सियासी बयानबाजी और तेज होने की संभावना है।

अमेजन क्षेत्र में अवैध सोना खनन मामले में 200 गिरफ्तार

बोगोटा। अमेजन क्षेत्र में अवैध सोना खनन के खिलाफ पहली बार संयुक्त सीमा-पार कार्रवाई करते हुए ब्राजील, फ्रेंच गुयाना, गुयाना और सूरीनाम की पुलिस व अभियोजन एजेंसियों ने करीब 200 लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि यह व्यापक अभियान दिसंबर में चलाया गया था। यह कार्रवाई इंटरपोल, यूरोपीय संघ और पर्यावरण अपराध में विशेषज्ञ डच पुलिस के सहयोग से अंजाम दी गई। अधिकारियों के अनुसार, चारों देशों की एजेंसियों ने आपसी तालमेल के साथ अवैध खनन नेटवर्क पर एक साथ शिकंजा कसा, जिससे अपराधियों को भागने का मौका नहीं मिला।

मजदूर एकजुट हो जाएं तो सरकार पीछे हट जाएगी : राहुल

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को खत्म कर उसकी जगह 'विकसित भारत जी राम जी' अधिनियम लाने के प्रस्ताव को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला।

उन्होंने कहा कि यदि देश के गरीब और मजदूर इस कानून के खिलाफ एकजुट हो गए, तो सरकार को इसे वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

राजधानी दिल्ली के जवाहर भवन में आयोजित 'मनरेगा बचाओ मोर्चा' को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह किसानों ने काले कृषि कानूनों के खिलाफ एकजुट होकर सरकार को पीछे हटने पर मजबूर किया था, उसी तरह मजदूर भी सरकार की इस कोशिश को नाकाम कर सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अब मजदूरों पर वही हमला कर रही है, जो पहले किसानों पर किया गया था।

एक व्यक्ति के फैसले का आरोप

राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा ऐसा हिंदुस्तान चाहती है, जहां सभी फैसले एक ही व्यक्ति द्वारा किए जाएं। उन्होंने कहा कि किसान और मजदूर रास्ता दिखा चुके हैं और अब समय आ गया है कि सभी गरीब तबके एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए खड़े हों। उनके मुताबिक, एकजुटता से ही मनरेगा को दोबारा बहाल कराया जा सकता है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मनरेगा को खत्म करना गरीबों को बंधुआ मजदूर बनाने की साजिश है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब महात्मा गांधी के नाम को हटाने की हिमाकत की जा रही है, जिसे देश कभी माफ नहीं करेगा। खरगे ने ऐलान किया कि कांग्रेस बजट सत्र में इस मुद्दे को जोरशोर से उठाएगी। खरगे ने कहा कि कांग्रेस देशभर में मनरेगा को बचाने के लिए आंदोलन करेगी और जब तक केंद्र सरकार नया कानून वापस लेकर मनरेगा को बहाल नहीं करती, तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा।

रिपोर्ट — नीदरलैंड की तकनीकी फर्म टॉम-टॉम ने दी यह जानकारी

बेंगलुरु विश्व का दूसरा सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाला शहर

एजेंसी | बेंगलुरु

भारत का आईटी हब बेंगलुरु वर्ष 2025 में विश्व स्तर पर दूसरा सबसे अधिक यातायात भीड़भाड़ वाला शहर रहा है। औसत यातायात भीड़भाड़ का स्तर 74.4 प्रतिशत दर्ज किया गया है। यह जानकारी नीदरलैंड स्थित लोकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी टॉम-टॉम की नवीनतम ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट में सामने आई है।

टॉम-टॉम की वर्ष 2025 की ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार, मैक्सिको सिटी को दुनिया का सबसे अधिक भीड़भाड़ वाला शहर घोषित किया गया है। इसके बाद बेंगलुरु दूसरे और आयरलैंड की राजधानी डबलिन तीसरे स्थान पर रही। यह सूचकांक दुनिया भर के शहरों में औसत यात्रा समय और यातायात भीड़भाड़ के स्तर के आधार पर तैयार किया जाता है।

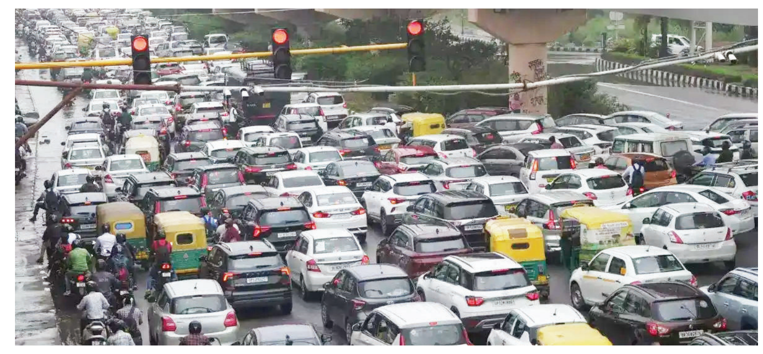

शीर्ष 35 में छह भारतीय शहर शामिल

वैश्विक स्तर पर शीर्ष 35 सबसे भीड़भाड़ वाले शहरों की सूची में भारत के कुल छह शहर शामिल हैं। बेंगलुरु के अलावा पुणे 71.1 प्रतिशत भीड़भाड़ के साथ पांचवें स्थान पर रहा। मुंबई 63.2 प्रतिशत के साथ 18वें, नई दिल्ली 60.2 प्रतिशत के साथ 23वें, कोलकाता 58.9 प्रतिशत के साथ 29वें, जयपुर 58.7 प्रतिशत और चेन्नई 58.6 प्रतिशत के साथ 30वें स्थान पर दर्ज किए गए हैं।